न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 04/2007

अपीलांट

1. काछबा पुत्र समेला के कायम मुकाम
   1/1 खंराज पुत्र काछबाजी उम्र 58 वर्ष
   2/2 भगा पुत्र काछबाजी उम्र 56 वर्ष
   3/3 हरिराम पुत्र काछबाजी उम्र 52 वर्ष
   4/4 रामाराम पुत्र काछबाजी उम्र 50 वर्ष
   5/5 बाबू पुत्र काछबाजी उम्र 46 वर्ष
   6/6 प्रेमा पुत्र काछबाजी उम्र 44 वर्ष
   7/7 सुखराम पुत्र काछबाजी उम्र 42 वर्ष
   8/8 साहनी पुत्र काछबाजी तमाम जातियान विश्नोई, निवासी विरावा, तहसील चितलवाना जिला जालोर।
2. मृतक भारता पुत्र समेला के कायम मुकाम दत्तक पुत्र
   2/1 रामा गोद पुत्र भारता जाति विश्नोई निवासी विरावा तहसील सांचौर जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. काछबा पुत्र रामसुखा
2. चोखा पुत्र रामसुखा
3. सुरजन पुत्र रामसुखा जाति विश्नोई, निवासी धोलीनाडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. सहायक अभियंता नर्मदा नहर परियोजना खंड सांचोर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सांचौर।

उपस्थित :–

1. श्री त्रिलोक चंद मेहता विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 05

–: निर्णय :–

दिनांक : 07.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा बमुकदमा संख्या 87/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2006 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा वीरावा के खसरा नंबर 973 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नंबर 974 रकबा 1.89 हैक्टेयर कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर के संबध में खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.03.2004 पारित कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.06.2005 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु मामला प्रेषित किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा पुन खारिज कर दिया गया। रेस्पोडेन्टगण बाडमेर जिले के रहने वाल है जिनका सांचोर से लेना देना नही है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादग्रस्त खसरा नंबर 973 व 974 के पुराने खसरा नंबर 462 व 461 है जिस पर जमाबंदी संवत 2012 से 2015 तक समेला पुत्र जुठा का नाम दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार समेला पुत्र जुठा था। इसके अतिरिक्त पूर्व में विरावा गांव केरिया राजस्व गांव कहलाता था तथा वाद में विरावा अलग राजस्व गांव बना दिया जिससे संवत 2012 से 2039 का मिसल बंदोबस्त केरिया का बना है। जमांबदी सवंत 2014 से 2019 में भी अपीलांटगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के संबध में रेस्पोडेन्टगण के नाम खातेदारी इन्द्राज प्रथम दृष्टया शून्य है। अपीलांट के पिता की खातेदारी आराजी धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कानूनन नहीं दी जा सकती है। तथा ऐसे शून्य इन्द्राज को चेलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तथा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी देते समय रेस्पोडेन्टगण का मौके पर कोई कब्जा नही था एवं न ही वाद के दौरान था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के पिता समेला को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जबकि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में म्याद का कोई बिन्दु नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये तनकीयात का गलत विवेचन कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा वीरावा के खसरा नंबर 973 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नंबर 974 रकबा 1.89 हैक्टेयर कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर के संबध में खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.03.2004 पारित कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.06.2005 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु मामला प्रेषित किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीयात का विवेचन करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी पर प्रथम भूप्रबंध संवत 2009 का कब्जा काश्त है। रामसुखा पुत्र जेठा विश्नोई का काश्त केरिया के खसरा नंबर 461 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, 462 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा पर दिनांक 15.10.55 से सवंत 2012 से 2014 तक लगातार तीन वर्ष तक बहैसियत उपकृषक के रूप में होने से तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 09.05.1961 को नामान्तरण भरा गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्टगण के पिता के नाम राजस्व अभिलेख में दिनांक 19.05.61 से भी अधिक समय से इन्द्राज जमाबंदी में चले आ रहे है। उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा कोई भी कार्यवाही सक्षम न्यायालय के समक्ष नही की गई है। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजी पर संवत 2012 से निरन्तर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए तनकीयात कायम कर तनकीयात का विवेचन करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या बलहीन होने से खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा बमुकदमा संख्या 87/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2006 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली